राजकीय यूनानी मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालय, प्रयागराज तथा राजकीय तकमील उत्तिब कालेज एवं चिकित्सालय लखनऊ में शिक्षकों के रिक्त पदों को संविदा से भरे जाने हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

नवीनतम
फोटो
स्वप्रमाणित

1— पद एवं विषय का नाम ....
2— अभ्यर्थी का पूरा नाम ....
3— अभ्यर्थी पुरूष / महिला ....
4— जन्मतिथि तथा 01.07.2024 को आयु
(हाईस्कूल अथवा समकक्ष योग्यता के अनुसार) ....
5— पिता / पति का नाम ....
6— आवेदित अभ्यर्थी का वर्ग
(सा0 / अ0पि0व0 / अनु0जाति / अनु0जनजाति) ....
7— सेवानिवृत्त हुये राज्य का नाम ....
8— सेवानिवृत्ति की तिथि / आयु ....
9— आवेदित पद हेतु अनिवार्य अर्हतायें एवं ....
अनुभव का विवरण ....
10— आवेदित पद हेतु वरीयमान अर्हतायें एवं ....
अनुभव का विवरण ....
11— भारतीय चिकित्सा राष्ट्रीय आयोग, नई दिल्ली ....
द्वारा आवंटित शिक्षक कोड संख्या
(साक्ष्य संलग्न करें)
12— (क) पत्र व्यवहार का पता ....
....
....
....
....

(ख) स्थायी पता ....
....
....
....

13— दूरभाष संख्या— ....
14— ई—मेल आई0डी0 ....
15— सेवानिवृत्ति के समय आहरित अन्तिम वेतन ....
में पेंशन की धनराशि (राशिकरण के पूर्व) ....
को घटाते हुये धनराशि (पूर्व सेवायोजित ....
संस्था का प्रमाण पत्र संलग्न करें) ....

(उक्त से सम्बन्धित प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियां संलग्न करें)
प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त दिया गया विवरण मेरी जानकारी के अनुसार सही है।

आवेदक का हस्ताक्षर...

दिनांकः—

आवेदक का नाम...

स्थानः—

Scanned with OKEN Scanner

राजकीय तकमील उत्तिब कालेज एवं चिकित्सालय, लखनऊ तथा राजकीय यूनानी मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालय, प्रयागराज में रिक्त शिक्षकों के पदों को संविदा से भरे जाने हेतु शर्तें एवं प्रतिबन्ध तथा आवेदन पत्र का प्रारूप।

1– राजकीय यूनानी महाविद्यालयों मे एन0सी0आई0एस0एम0, नई दिल्ली के मानकों की पूर्ति सुनिश्चित करने हेतु प्रदेश/प्रदेश के बाहर के सेवा निवृत्त चिकित्सा शिक्षकों के साथ–साथ सेवानिवृत्त चिकित्सक तथा एन0सी0आई0एस0एम0, नई दिल्ली के निर्धारित मानकानुसार शैक्षणिक अर्हता व अनुभव धारित करने वाले प्रदेश/प्रदेश के बाहर के समस्त चिकित्सा शिक्षक/चिकित्सक (65 वर्ष की आयु तक) संविदा हेतु अर्ह होंगे।

2– सेवानिवृत्त चिकित्सा शिक्षक/चिकित्सक को संविदा की अवधि में परिलब्धियां अंतिम आहरित वेतन में से पेंशन की धनराशि (राशिकरण के पूर्व) को घटाते हुए निर्धारित की जायेगी। अन्य संविदा कर्मचारियों के सम्बन्ध में नियत वेतन वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–वे0आ0–2–562/दस–54(एस)/2008टी0सी0, दिनांक–30.08.2013 के अनुरूप निर्धारित की जायेगी।

3– ऐसे शिक्षकों की सेवायें उक्त निर्धारित आयु के अन्तर्गत ही समान्यतः 01 वर्ष होगी किन्तु सेवा सन्तोषजनक न पाये जाने पर 01 माह की नोटिस देकर कभी भी समाप्त की जा सकेगी। इसके अतिरिक्त लोक सेवा आयोग से सम्बन्धित विषय/विभाग में शिक्षक उपलब्ध होने की स्थिति में भी संविदा शिक्षकों को हटाया जा सकेगा। 01 वर्ष की संतोषजनक सेवा के पश्चात यथा आवश्यक इनकी संतोषजनक सेवा के आधार पर सेवाकाल पुनः बढ़ाया जा सकेगा।

4– संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों से किसी भी प्रकार के प्रशासनिक पद का कार्य नही लिया जायेगा।

5– चयनित अभ्यर्थी चिकित्सा महाविद्यालय के प्राचार्य के साथ रूपया–50/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर शासन द्वारा अनुमोदित प्रारूप पर करार निष्पादित करेगा। करार के निष्पादन पर होने वाला व्यय चयनित अभ्यर्थी द्वारा वहन किया जायेगा।

6– अभ्यर्थी द्वारा पद स्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से संविदा पर कार्यरत माना जायेगा।

7– चिकित्सा शिक्षकों के लिये आवश्यक होगा कि वह करार होने के 15 दिन के भीतर संबन्धित चिकित्सा महाविद्यालय में अपना कार्यभार ग्रहण कर ले। उक्त कालावधि में कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में संविदा स्वतः रद्द मानी जायेगी। कार्यभार ग्रहण की सूचना सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा शासन तथा सम्बन्धित निदेशक को तत्काल भेजी जायेगी।

8– चिकित्सा शिक्षकों की संविदा कालावधि के लिये किसी प्रकार के पेन्शन सम्बन्धी सुविधाओं का वह हकदार नही होगा, न ही कोई बोनस देय होगा।

9– ऐसे शिक्षक शासकीय सेवा में विनियमितीकरण के लिये हकदार नही होगे। ऐसे शिक्षकों की अन्य सेवा शर्त ऐसी होगी जैसे करार या अनुबन्ध पत्र में विनिर्दिष्ट की जायेगी। संविदा पर कार्यरत चिकित्सा शिक्षकों के अनुबन्ध या करार में इस तथ्य का उल्लेख किया जायेगा कि वह भविष्य में अपने कार्य एवं कार्यकाल के आधार पर अपने विनियमितीकरण या स्थायीकरण का दावा नही करेगे और न ही उन्हें निर्धारित नियत वेतन के अतिरिक्त अन्य कोई सुविधा अनुमन्य होगी।

10– संविदा शिक्षक की व्यवस्था केवल विशिष्ट महाविद्यालय के लिये होगी तथा किसी भी परिस्थिति में उसका स्थानान्तरण नही किया जायेगा।

11– यदि कोई शिक्षक बिना किसी विशिष्ट कारण के और बिना किसी सूचना के अपने कार्य से 01 सप्ताह से अधिक के लिये अनुपस्थित रहता है तो उसकी संविदा, अनुपस्थिति की तिथि से स्वतः समाप्त मानी जायेगी।

क्रमशः............2

Scanned with OKEN Scanner

12– उल्लिखित पद हेतु आवेदन पत्र डाक/व्यक्तिगत रूप से दिनांक–20.08.2024 (दिन–मंगलवार), को सायं 5:00 बजे तक राजकीय तकमील उत्तिब कालेज एवं चिकित्सालय, लखनऊ तथा राजकीय यूनानी मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालय, प्रयागराज में पंजीकृत डाक द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से स्वीकार किये जायेंगे। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

13– विज्ञापित पदों की संख्या आवश्यकतानुसार घटायी या बढ़ायी जा सकती है जिसकी कोई सूचना नही दी जायेगी।

14– लिफाफे के ऊपर बायी तरफ आवेदित पद का नाम लिखा जायेगा। बन्द लिफाफे पर सम्बन्धित कालेज के प्रधानाचार्य एवं अधीक्षक (राजकीय तकमील उत्तिब कालेज एवं चिकित्सालय, लखनऊ/राजकीय यूनानी मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालय, प्रयागराज) लिखते हुये आवेदन पत्र उक्तानुसार प्रेषित किये जायेंगे।

15– पात्र पाये गये अभ्यर्थियों को साक्षात्कार की तिथि के सम्बन्ध में सूचना उनके मोबाइल नम्बर तथा ई0मेल आईडी पर सम्बन्धित कालेज के प्रधानाचार्य एवं अधीक्षक द्वारा पृथक से दी जायेगी।

क्र0 सं0	कालेज का नाम व पता	विभाग का नाम	पदनाम	पदों की संख्या	श्रेणी	साक्षात्कार की तिथि व स्थान
1	राजकीय यूनानी मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालय, प्रयागराज उ0प्र0 211016	मुनाफेउल आजा	प्रोफेसर	01	अनारक्षित	दिनांक–31.08.2024 (दिन–शानिवार) स्थान– राजकीय यूनानी मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालय, प्रयागराज
			रीडर	01		
		माहियातुल अमराज	रीडर	01		
		इल्मुल सैदला	रीडर	01		
		अमराजे जिल्द व तजिनीयात	रीडर	01		
		इल्मुल अतफाल	रीडर	01		
		कुल्लियात (अरबी)	प्रवक्ता	01		
		मोआलेजात	प्रवक्ता	01		
			योग–	08		
2	राजकीय तकमील उत्तिब कालेज एवं चिकित्सालय, बिजनौर रोड, रमाबाई रैली स्थल के निकट, लखनऊ उ0प्र0 226002	तशरीहुल बदन	प्रोफेसर	01		दिनांक–07.09.2024 (दिन–शानिवार) स्थान–राजकीय तकमील उत्तिब कालेज एवं चिकित्सालय, लखनऊ
		माहियतुल अमराज	प्रोफेसर	01		
		इल्मुल अतफाल	रीडर	01		
		कुल्लियात	रीडर	01		
		कुल्लियात (अरबी)	प्रवक्ता	01		
		इल्मुल जराहत	प्रवक्ता	01		
		इल्मुल अदविया	प्रवक्ता	01		
			योग–	07		
			कुल योग–	15		

नोट:– 1– संविदा पर नियुक्ति विषयक शासनादेश निर्गत होने के उपरान्त चिकित्सा शिक्षकों द्वारा करार निष्पादन 15 दिवस के अन्दर करना होगा।

2– साक्षात्कार में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नही होगा।

(प्रोफेसर जमाल अख्तर)
निदेशक।

Scanned with OKEN Scanner